FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0156 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/06/2025 19:05 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 15/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 17/06/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:55 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/06/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/06/2025 19:05:04 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 0.500 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** KARALYA PANCHAYAT SAMITI, SHRIGANGANAGAR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name(नाम): RAJESH KUMAR
(b) Father's Name (पिता का नाम): RAGHUVEER SINGH
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1977 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No(यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO 05,CHOONAVADH, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO 05,CHOONAVADH, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HETARAM DHALIYA		पिता:CHHOTURAM	1. MAKAN NO.13,BASANT VIHAR,SECTOR NO.08,KE PASS JAWAHARNAGAR,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,श्रीगंगानगर विषय-लेखाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं राजेश कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति अरोड़ा उम्र 48 साल निवासी वार्ड न. 5 चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती निशा रानी जनवरी 2020 से ग्राम पंचायत चूनावढ की सरपंच/प्रशासक है। जिसके प्रतिनिधि के तौर पर मै ही उनका काम देखता हूँ। हमारी ग्राम पंचायत में दो कार्य (1) रामलीला ग्राउण्ड के जोहड़ से लेकर 30 जीजी खाले तक पानी निकासी हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य (2) वार्ड न. 12 के जोहड़ से लेकर 24 जीजी खाले तक पानी निकासी हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य के प्रस्ताव पारित कर पंचायत समिति श्रीगंगानगर भिजवाने पर पंचायत समिति श्रीगंगानगर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी हो चुकी है, परन्तु वित्तीय स्वीकृति अब जारी नही हुई है, जो सहायक लेखाधिकारी के पास ई-फाईल ऑनलाईन पेण्डिग है। जिसके सम्बधं में मै हेतराम ढालिया सहायक लेखाधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर से मिला तो उसने खर्चे पानी के तौर पर रिश्वत की मांग की। उक्त बात मैने सरपंच/प्रशासक मेरी पत्नी निशा रानी को बतायी तो उसने इसके खिलाफ आपके विभाग में कार्यवाही करवाने हेतु मुझे अधिकृत किया है। मैं हमारी ग्राम पंचायत के उक्त दोनो जायज काम की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की एवज श्री हेतराम ढालिया सहायक लेखाधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर को रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी उससे कोई रंजिश नही है, ना ही कोई उधार का लेन देन है। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक- 15.05.25 प्रार्थी एसडी राजेश कुमार निवासी वार्ड न. 5 चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर मो.न. [redacted] कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 15.05.2025 वक्त 1.30 पीएम पर परिवादी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति अरोड़ा उम्र 48 साल निवासी वार्ड न0 5 चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने स्वयं चौकी भ्र.नि.ब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम पर उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस को यह लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय की हस्तलिपि में लिखी होकर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरी पत्नी श्रीमती निशा रानी वर्तमान में ग्राम पंचायत चूनावढ की सरपंच/प्रशासक है। जिसके प्रतिनिधि के तौर पर मै ही उनका काम देखता हूँ। हमारी ग्राम पंचायत में दो कार्य (1) रामलीला ग्राउण्ड के जोहड़ से लेकर 30 जीजी खाले तक पानी निकासी हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य (2) वार्ड न. 12 के जोहड़ से लेकर 24 जीजी खाले तक पानी निकासी हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य के प्रस्ताव पारित कर पंचायत समिति श्रीगंगानगर भिजवाने पर पंचायत समिति श्रीगंगानगर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी हो चुकी है, परन्तु वित्तीय स्वीकृति अब तक जारी नही हुई है, जो सहायक लेखाधिकारी के पास ई-फाईल ऑनलाईन पेण्डिग है। जिसके सम्बधं में मै हेतराम ढालिया सहायक लेखाधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर से मिला तो उसने खर्चे पानी के तौर पर रिश्वत की मांग की। उक्त बात मैने सरपंच/प्रशासक मेरी पत्नी निशारानी को बतायी तो उसने इसके खिलाफ आपके विभाग में कार्यवाही करवाने हेतु मुझे अधिकृत किया है। मैं हमारी ग्राम पंचायत के उक्त दोनो जायज काम की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की एवज श्री हेतराम ढालिया सहायक लेखाधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर को रिश्वत नही देकर उसे रिष्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। इस सम्बधं में परिवादी ने अपनी पत्नी द्वारा दिया गया अधिकृत/सहमति पत्र प्रस्तुत किया, जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर परिवादी श्री राजेश कुमार को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो उसने इस हेतु अपनी सहमति दी। इस पर परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री भवानी सिंह कानि0 से परिचय करवाया गया। परिवादी ने बताया कि मै आज ही रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। वक्त 3.00 पीएम पर श्री भवानी सिंह कानि. को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात श्री भवानी सिंह कानि मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के परिवादी श्री राजेश कुमार के साथ रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु पंचायत समिति श्रीगंगानगर की ओर हिदायत कर रवाना किया गया। वक्त 3.45 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा श्री भवानी सिंह कानि. व परिवादी श्री राजेश कुमार कार्यालय हाजा पर

उपस्थित आये। श्री भवानी सिंह कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मेरे को पेश किया। परिवादी ने बताया कि मैं व भवानी सिंह कार्यालय हाजा से रवाना होकर कार्यालय पंचायत समिति श्रीगंगानगर गये थे, जहां पर मै पंचायत समिति के अन्दर चला गया एवं श्री भवानी सिंह बाहर ही गोपनीय स्थान पर रूक गया था। मै पंचायत समिति के अन्दर श्री हेतराम ढालिया एएओ से मिला तो उसने मेरे दोनो कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की एवज में उक्त दोनो कार्यो की स्वीकृत राशि 18 लाख रूपये का एक प्रतिशत 18,000/रूपये रिश्वत की मांग की, फिर कम करने का कहने पर 15,000/रूपये लेना तय किया है। उक्त वार्ता मैने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। फिर मै पंचायत समिति से बाहर आकर भवानी सिंह के साथ ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हूॅ। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो परिवादी के उक्त तथ्यों की ताईद हुई। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत का दिनांक 18.05.25 को पंचायत राजमंत्री महोदय का निरीक्षण हो सकता है, उच्चाधिकारियों ने तैयारी करने को कहा है, जिसकी तैयारिया करनी है। मै आरोपी को दिनांक 19.05.25 को रिश्वत राशि दूंगा। जिस पर परिवादी राजेश कुमार को आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 16.05.25 वक्त 4.30 पीएम पर आगामी दो दिवस राजपत्रित अवकाश होने के कारण दिनांक 19.05.25 को कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग श्रीगंगानगर को दो स्वतन्त्र गवाह दिनांक 19.05.25 को सुबह भिजवाने हेतु जरिये तहरीर/दूरभाश निवेदन किया गया। दिनांक 19.05.25 वक्त 8.30 एएम पर इस समय परिवादी राजेश कुमार ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया तथा परिवादी ने बताया कि मै आरोपी को रिश्वत में देने वाली राशि 15,000/रूपये साथ लेकर आया हूॅ। वक्त 9.00 एएम पर तलबिदा श्री राहूल कनिष्ठ सहायक व श्री निगम दाधीच वरिष्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग, श्रीगंगानगर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये है। जिनको गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में शामिल रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री राजेश कुमार का उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं रिश्वत मांग सत्यापन बाबत बताया गया। दिनांक 15.05.25 को परिवादी श्री राजेश कुमार ने आरोपी श्री हेतराम ढालिया से व्यक्तिगत सम्पर्क कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु वार्ता कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था जो मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा है। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी के कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता सुनकर वार्ता में परिवादी श्री राजेश कुमार ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी हेतराम ढालिया की होना बताया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता के कम्प्यूटर के जरिये श्री भवानी सिंह कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेशणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्ड मे स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सील चीट कर मार्क V अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। वक्त 10.05 एएम पर उक्त दोनो गवाहान की मौजूदगी में निर्देशानुसार परिवादी श्री राजेश कुमार ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500/रू के 30 नोट कुल 15,000/-रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया । जिनका विवरण इस प्रकार है-1.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1AH 300712, 2. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.3AU683174, 3. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.0VH460334, 4.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5KN486186, 5.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.2AA165570, 6.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.1VL126625, 7.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2MV580695, 8.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.3VC532671, 9.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0BR346704, 10.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3CH235130, 11.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.4BR552102, 12.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.9TH167039, 13.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0CC608403 14.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.0BP341907, 15.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1MU88312, 16.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.0EK314405, 17.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.1VD655356, 18.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.4CG238371,19.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.9FG747873, 20.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.1CU533902, 21.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.3EN794382, 22.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.9EW839018 23. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.9 EW839019, 24.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.9 EW 839020, 25.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.9 EW 839021, 26.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.9 EW839022, 27.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.9EW 839023, 28.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.9 EW 839024, 29.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 9EW 839025, 30.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.9 EW 839026 उक्त प्रस्तुत नोटो को मन उप पुलिस अधीक्षक ने परिवादी एवं गवाहान को

दिखाकर श्री रमन दायमा कानि0 48 से फिनालपथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त सभी नोटो पर फिनालपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह निगम दाधीच से परिवादी श्री राजेश कुमार की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 15,000/- रूपये के नोटो को श्री रमन दायमा कानि0 48 के जरिये परिवादी के पहने कुर्ते की उपरी बांयी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन् उप पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री रमन दायमा कानि. 48 के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया, डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री रमन दायमा कानि. 48 के हाथ को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल वाइॅस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर परिवादी श्री राजेश कुमार को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। उक्त कार्रवाई की अलग से फर्द सुपुर्दगी नोट मुर्तिब की गई। वक्त 12.30 पीएम पर परिवादी श्री राजेश कुमार को उसकी निजी कार से रवाना कर उसके पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल, श्री निगम दाधीच एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री मंगतुराम एएसआई, श्री जगदीशराय मु.आ., श्री राजेशकुमार मु0आ0, श्री नरेशकुमार मु0आ0, श्री संजीव कुमार कानि0, श्री भवानी सिंह कानि0, श्री भंवरराम कानि0, श्री आषीश कुमार कानि0 मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर निजी एवं प्राईवेट कारो से गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पंचायत समिति श्रीगंगानगर के नजदीक गोपनीय स्थान पर वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर परिवादी राजेश कुमार को आरोपी से सम्पर्क करने उसकी निजी कार से पंचायत समिति श्रीगंगानगर की ओर रवाना करते हुये टे्प जाल बिछाया गया। वक्त 01.05 पीएम पर परिवादी राजेश कुमार बिना ट्रेप का ईशारा किये पंचायत समिति श्रीगंगानगर से अपनी कार से बाहर आया, जिसने गोपनीय स्थान पर आकर बताया कि आरोपी पंचायत समिति में अपने कक्ष में बैठा है, लेकिन आज कार्य की अधिकता के कारण अन्य लोग उसके पास बैठे है, जहां पर उससे मेरी बात नही हो पायी, जिस पर उसने मुझे ईशारा कर बाद में आने का कहा हैं, आज रिश्वत लेन देन सम्भव नही है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मौके से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहूंचा। ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही होने से परिवादी को सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त किया गया एवं सुपुर्द शुदा रिश्वत में प्रयुक्त राशि को श्री रमन दायमा कानि0 से परिवादी के कुर्ते की जेब से निकलवाकर एक सफेद कागज में लपेटा गया। उक्त रिश्वत राशि एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को श्री राजेश कुमार मालखाना इंचार्ज के जरिये सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। परिवादी ने बताया कि कल 20.05.25 को ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक है, मै सुबह जल्दी नही आसकता, मैं कल दोपहर बाद हाजिर हो जाउंगा। जिस पर परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 20.05.25 वक्त 2.30 पीएम पर परिवादी राजेशकुमार व गवाह श्री राहूल कनिष्ठ सहायक व श्री निगम दाधीच वरिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये है। जिस पर परिवादी राजेश कुमार की गवाह श्री निगम दाधीच से जामा तलाशी करवायी जाकर उसके पास उसके मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी नही रहने दिया गया। तत्पश्चात श्री रमन दायमा कानि0 से मालखाना में रखी गई रिश्वत में प्रयुक्त राशि 15,000/रूपये को परिवादी की कुर्ते की उपरी बांयी जेब में रखवाये गये तथा वक्त रिश्वत लेन देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। वक्त 3.00 पीएम पर परिवादी श्री राजेश कुमार को उसकी निजी कार से रवाना कर उसके पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल, श्री निगम दाधीच एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री मंगतुराम एएसआई, श्री जगदीशराय मु0आ0, श्री राजेशकुमार मु0आ0, श्री नरेशकुमार मु0आ0, श्री संजीव कुमार कानि0, श्री भवानी सिंह कानि0, श्री भंवरराम कानि0, श्री आषीश कुमार कानि. मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर निजी एवं प्राईवेट कारो से गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पंचायत समिति श्रीगंगानगर के नजदीक गोपनीय स्थान पर वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर परिवादी राजेश कुमार को आरोपी से सम्पर्क करने उसकी निजी कार से पंचायत समिति श्रीगंगानगर की ओर रवाना करते हुये ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 03.30 पीएम पर परिवादी राजेश कुमार बिना ट्रेप का ईशारा किये पंचायत समिति श्रीगंगानगर से अपनी कार से बाहर आया, जिसने गोपनीय स्थान पर आकर बताया कि आरोपी पंचायत समिति में अपने कक्ष में बैठा है, जिसके आस पास कई लाग बैठे थे, तो उससे बात नही हो पायी, जिससे मैने बात करनी चाही तो उसने मुझे ईशारा कर बाद में आने का कहा है, आज रिश्वत लेन देन सम्भव नही है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मौके से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहूंचा।

ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही होने से परिवादी को सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त किया गया एवं सुपुर्द शुदा रिश्वत में प्रयुक्त राशि को श्री रमन दायमा कानि0 से परिवादी के कुर्ते की जेब से निकलवाकर एक सफेद कागज में लपेटा गया। उक्त रिश्वत राशि एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को श्री राजेश कुमार मालखाना इंचार्ज के जरिये सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। परिवादी ने बताया कि आरोपी होषियार एवं चालाक है, अपने हिसाब से रिश्वत राशि लेना चाहता है, अब मै उसके पास चलाकर नही जाउंगा, जब तक वह मुझे फोन करके नही बुलायेगा। जिस पर परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 16.06.25 वक्त 11.30 एएम पर परिवादी श्री राजेश कुमार ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया एवं बताया कि मेरी पत्नी एवं मै खुद बीमार हो गया था तथा परिवार में मर्ग होने के कारण कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित नही हो सका। आरोपी आज मुझे पंचायत समिति श्रीगंगानगर में मिला था, जिसने मेरे से रिश्वत की मांग की, तब मैने उसे कल देने को कहा है। कल मै आरोपी को रिश्वत राशि दूंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। ट्रेप कार्यवाही के स्वतन्त्र गवाहान श्री राहूल एवं श्री निगम दाधीच को कल सुबह 9.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु जरिये दूरभाष पाबंद किया गया। दिनांक 17.06.25 वक्त 9.30 एएम पर तलविदा स्वतन्त्र गवाहान श्री राहूल एवं श्री निगम दाधीच ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। वक्त 11.30 एएम पर परिवादी श्री राजेश कुमार ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। जिस पर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री निगम दाधीच से करवायी जाकर उसके पास पहने कपड़ो एव मोबाईल के अलावा कुछ भी नही रहने दिया गया। तत्पश्चात श्री रमन दायमा कानि. से मालखाना में रखी गई रिश्वत में प्रयुक्त राशि 15,000/रूपये को परिवादी की कुर्ते की उपरी बांयी जेब में रखवाये गये तथा वक्त रिश्वत लेन देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। वक्त 12.30 पीएम पर परिवादी राजेश कुमार को उसकी निजी कार से रवाना करते हुये पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतन्त्र गवाह श्री राहूल एवं श्री निगम दाधीच एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री दारा सिंह एएसआई, श्री मंगतुराम एएसआई, नरेन्द्र कुमार मु.आ., श्री राजेश कुमार मु.आ., श्री संजीव कुमार कानि., श्री भंवर राम कानि., श्री भवानी सिंह कानि0, श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0, श्री उपेन्द्र कुमार कानि0 व श्री धर्मवीर कानि0, श्री पंकज शर्मा कानि0डा0 मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी कार एवं मोटरसाईकिल से गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर नजदीक पंचायत समिति श्रीगंगानगर पहूंच परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने पंचायत समिति श्रीगंगानगर रवाना कर ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 12.55 पीएम पर परिवादी राजेश कुमार द्वारा कार्यालय पंचायत समिति श्रीगंगानगर के मुख्य भवन से ट्रेप का निर्धारित मिलने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के अविलम्ब परिवादी के पास पंचायत समिति भवन के गेट पर पहूंचा तो परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मेरे हेतराम ढालिया एएओ ने मेरे से पीछे गैलरी में रिश्वत के 15000/रूपये लेकर कैशियर के कमरे में चले गये है । जिस पर परिवादी को साथ लेकर पंचायत समिति भवन के अन्दर प्रवेश करके पीछे गैलरी में बने कैशियर के कमरा न. 8 (रोकड़पाल शाखा/भण्डारपाल शाखा) में पहूंचा तो परिवादी ने चश्मा लगे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही हेतराम ढालिया एएओ है, जिन्होने मेरे से 15000/रूपये रिश्वत के ले लिये। जिस पर ब्यूरो स्टाफ से उस व्यक्ति को काबु किया गया तो वह घबरा गया, जिसे तसली दी जाकर उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हेतराम ढालिया पुत्र श्री छोटूराम जाति मोची उम्र 56 साल निवासी म.न. 13 बसन्त विहार, सेक्टर न. 8 के पास जवाहरनगर, श्रीगंगानगर हाल सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, पंचायत समिति श्रीगंगानगर होना बताया। फिर आरोपी से परिवादी से सम्बधिंत कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि साहब मेरे पास राजेश कुमार सरपंच पति ग्राम पंचायत चूनावढ से सम्बधिंत कोई काम पेण्डिग नही है, ना ही मैने कोई रिश्वत राशि की मांग की एव ना ही मैने कोई रिश्वत राशि ली है। जिस पर मौका पर परिवादी राजेश कुमार ने स्वतः ही रूबरू गवाहान आरोपी हेतराम ढालिया की उक्त बात का खण्डन करते हुये बताया कि साहब मेरी पत्नी श्रीमती निशारानी वर्तमान में ग्राम पंचायत चूनावढ की सरपंच/प्रशासक है। जिसके प्रतिनिधि के तौर पर मै ही उनका काम देखता हूॅं। हमारी ग्राम पंचायत में दो कार्य (1) रामलीला ग्राउण्ड के जोहड़ से लेकर 30 जीजी खाले तक पानी निकासी हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य (2) वार्ड न. 12 के जोहड़ से लेकर 24 जीजी खाले तक पानी निकासी हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य के प्रस्ताव पारित कर पंचायत समिति श्रीगंगानगर भिजवाने पर पंचायत समिति श्रीगंगानगर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी हो चुकी थी, परन्तु वित्तीय स्वीकृति जारी नही हुई थी, जो सहायक लेखाधिकारी के पास ई-फाईल ऑनलाईन पेण्डिग थी। जिसके सम्बधं में मै हेतराम ढालिया सहायक लेखाधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर से मिला तो उसने खर्चे पानी के तौर पर रिश्वत की मांग कर रहा था। जिस पर आपके विभाग में प्रार्थना पत्र देने पर आपके द्वारा दिनांक 15.05.25 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी हेतराम ढालिया द्वारा 18000/रूपये रिश्वत की मांगकर 15000/रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ, जिस पर आज रिश्वत मांग के क्रम में हेतराम ढालिया एएओ से पंचायत समिति भवन में मिला तो उन्होने बातचीत करते हुये मेरे 15000/रूपये रिश्वत के अपने हाथ में ले लिये तथा इस कैशियर कक्ष में आ गये थे। उक्त घटनाक्रम से परिवादी व आरोपी हेतराम ढालिया के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से

आरोपी हेतराम ढालिया के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु प्राईवेट गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो नये पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी हेतराम ढालिया के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवा कर सील मोहर चिट कर मार्का 'आर-1, आर-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवा कर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी हेतराम ढालिया के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवा कर सील मोहर चिट कर मार्का 'एल-1, एल-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी से रिश्वत राशि के सम्बधं में पुनः पूछा तो उसने रिश्वत राशि के बारे में कुछ नही बताया। कैशियर कक्ष में बैठे एक अन्य युवक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पूर्णचन्द कनिष्ठ सहायक कम कैशियर पंचायत समिति श्रीगंगानगर होना बताया। तत्पश्चात कैशियर कक्ष में दीवार में बनी अलमारी जिसके लौहे के गेट लगे है, के नीचे के दो नम्बर खाने को खोल कर गवाहान से चैक करवाया गया तो उसमें एक अमेरिकन टयूरिस्ट सी-ग्रीन रंग का पीठू बैग मिला, जिसके सम्बधं में पूछने पर कैशियर पूर्णचन्द कनिष्ठ सहायक कम कैशियर ने यह बैग श्री हेतराम ढालिया एएओ को होना बताया। बैग की दोनो गवाहान से तलाशी लिवाने पर बैंग के लेपटॉप स्लोट वाले खाने में 500-500/रूपये के नोटो की थई निकालकर पेश किये, जिनको गवाह ने गिनकर 500-500/रू के 30 नोट कुल 15,000/रू होना बताया। फिर गवाहो से इन बरामद शुदा नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से करवाने पर दोनो गवाहान ने हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवा कर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रिश्वत राशि बरामदगी स्थान बैंग के लेपटॉप स्लोट वाले खाने की धुलाई के लिये एक अलग पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाया गया। फिर सफेद कपड़े की चिंदी को रिश्वत बरामदगी स्थान पर रंगड़ कर तैयार घोल में डूबोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'बी-1, बी-2' अंकित कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात बैंग बरंग सी-ग्रीन को एक सफेद कप़ड़े की थैली में डालकर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर किया गया। तत्पश्चात सफेद कपड़े की चिंदी को सुखाकर एक कपड़े की थैली में डालकर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी हेतराम ढालिया से परिवादी राजेश कुमार की ग्राम पंचायत चूनावढ के दो कार्य (1) रामलीला ग्राउण्ड के जोहड़ से लेकर 30 जीजी खाले तक पानी निकासी हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य (2) वार्ड न. 12 के जोहड़ से लेकर 24 जीजी खाले तक पानी निकासी हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य से सम्बधिंत दस्तावेजो के बारे में पूछने पर बताया कि मेरे पास उक्त दोनो कार्यो की पत्रावली वित्तीय स्वीकृति जारी होने के लिये हमारी पंचायत समिति की निर्माण शाखा से ऑनलाईन प्राप्त हुई थी, जो मेरे द्वारा उसी समय जारी कर दी गई थी। जिस पर पंचायत समिति श्रीगंगानगर के श्री पूर्णचन्द कैशियर ने उक्त दोनो कार्यो की दो पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 से 16 तक की तथा पृष्ठ संख्या 01 से 21 तक की फोटो प्रति प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेज बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किये गये। वक्त 3.00 पीएम पर इस समय परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर रूबरू गवाहान, परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की लेपटॉप से श्री भवानी सिंह कानि0 से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेशणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क T सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। तत्पश्चात आरोपी हेतराम ढालिया सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, पंचायत समिति श्रीगंगानगर को उसके जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब की गई। ट्रैप कार्रवाई घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका कसीद किया गया। घटनास्थल कार्यालय पंचायत समिति श्रीगंगानगर में ट्रेप कार्रवाई के दौरान मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मोबाईल से आरोपी से पूछताछ, हाथ धुलाई आरोपी एवं बरामदगी रिश्वत राशि की विडियोग्राफी मोबाईल की Internal Mamory में की गई। जिसकी HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई, मोबाईल को लेपटॉप से कनेक्ट कर श्री भवानी सिंह कानि0 से उक्त विडियोग्राफी को दो अलग अलग पैन ड्राईव में कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर मार्क X-1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया दुसरे पैन ड्राईव पर मार्क X-2 अंकित कर को अन्वेशणार्थ खुला रखा गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्रवाई विरूद्ध हेतराम ढालिया सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, पंचायत समिति श्रीगंगानगर में माल वजह सबूतो को, जिस पीतल की सील न. 51 से सील मोहर चिट किया गया था, उस पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। वक्त

6.00 पीएम पर मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी राजेश कुमार को मौका से आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस गिरफ्तारशुदा आरोपी के हमराहीयान के जब्तशुदा एवं बरामदशुदा वजह सबूत आदि के सरकारी बोलेरो एवं निजी कार/मोटरसाईकिल से पंचायत समिति श्रीगंगानगर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहूंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः सील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 15,000/रू रिश्वत राशि, सील्ड शुदा बैग, सील्डशुदा मैमोरी कार्ड, सील्डशुदा पैन ड्राईव, सील्डशुदा चिंदी आदि श्री राजेश कुमार मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी हेतराम ढालिया सहायक लेखाधिकारी-प्रथम को ब्यूरो स्टाफ के साथ राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर भिजवाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाये जाने के आदेश फरमाये जाने पर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में दाखिल करवाया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह तथ्य पाये गये कि परिवादी श्री राजेश कुमार की पत्नी श्रीमती निषा रानी जनवरी 2020 से ग्राम पंचायत चूनावढ की सरपंच/प्रशासक है। जिसके प्रतिनिधि के तौर पर राजेश कुमार काम देखता है। परिवादी की ग्राम पंचायत में दो कार्य (1) रामलीला ग्राउण्ड के जोहड़ से लेकर 30 जीजी खाले तक पानी निकासी हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य (2) वार्ड न. 12 के जोहड़ से लेकर 24 जीजी खाले तक पानी निकासी हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य के प्रस्ताव पारित कर पंचायत समिति श्रीगंगानगर भिजवाने पर पंचायत समिति श्रीगंगानगर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी की गई थी, परन्तु वित्तीय स्वीकृति जारी नही हुई थी, जो सहायक लेखाधिकारी के पास ई-फाईल ऑनलाईन पेण्डिग थी। जिसके सम्बधं में परिवादी राजेश कुमार हेतराम ढालिया सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, पंचायत समिति श्रीगंगानगर से मिला तो उसने खर्चे पानी के तौर पर रिश्वत की मांग की। जिस पर परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर कार्यवाही हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 15.05.25 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में परिवादी से आरोपी हेतराम ढालिया द्वारा उक्त दोनो कार्यो की स्वीकृत राशि 18 लाख रूपये का एक प्रतिशत 18,000/रूपये रिश्वत की मांग की, फिर कम करने का कहने पर 15,000/रूपये लेना तय किया। उक्त रिश्वत मांग के क्रम में आरोपी हेतराम ढालिया द्वारा परिवादी से दिनांक 17.06.25 को रिश्वत राशि के 15000/रूपये प्राप्त कर अपने पीठू बैग में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना, आरोपी के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल की धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग मटमैला एवं गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना आदि घटित साक्ष्यों के आधार पर हेतराम ढालिया सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, पंचायत समिति श्रीगंगानगर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) का घटित होना पाये जाने पर आरोपी हेतराम ढालिया पुत्र श्री छोटूराम जाति मोची उम्र 56 साल निवासी म.न. 13 बसन्त विहार, सेक्टर न. 8 के पास जवाहरनगर, श्रीगंगानगर हाल सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, पंचायत समिति श्रीगंगानगर के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें में सादर प्रेषित है। (भुपेन्द्र कुमार) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम.................कार्यवाही पुलिस.................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भुपेन्द्र कुमार,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हेतराम ढालिया पुत्र श्री छोटूराम जाति मोची उम्र 56 साल निवासी म.न. 13 बसन्त विहार, सेक्टर न. 8 के पास जवाहरनगर, श्रीगंगानगर हाल सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, पंचायत समिति श्रीगंगानगर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती शालू विश्नोई, पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़ को मनोनित किया गया है । उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 912 पर अंकित है (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर । क्रमांक 901-04 दिनांक 18.06.2025, प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्रीगंगानगर, 2. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर 3 - उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जयपुर-तृतीय, जयपुर।. 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** SHALU BISHNOI **Rank** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/06/2025 19:

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/03/1969				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)